न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

(1) प्रकरण संख्याः 5/2018/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 9.1.2018
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

भवानी शंकर आत्मज बंशीलाल जाति ब्राहमण निवासी खण्ढगांव तहसील दीगोद जिला कोटा–राज0।

...अपीलांट

बनाम

1. शारदा शर्मा पत्नी राजेन्द्र जाति ब्राहमण निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. ग्राम पंचायत सुल्तानपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सुल्तानपुर तह0 दीगोद जिला कोटा।
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा–राज0।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक –अपीलांट
पैरोकार सरकार –रेस्पो0 कम–3

(2) प्रकरण संख्याः 6/2018/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 9.1.2018
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

भवानी शंकर आत्मज बंशीलाल जाति ब्राहमण निवासी खण्ढगांव तहसील दीगोद जिला कोटा–राज0।

...अपीलांट

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश आत्मज गोविन्द लाल माता भूली बाई जाति ब्राहमण निवासी खेडी श्यामपुरा तहसील बांरा जिला बांरा।
2. बनवारी लाल आत्मज गोविन्दलाल माता भूलीबाई जाति ब्राहमण निवासी खेडी श्यामपुरा तह0 बांरा जिला बांरा।
3. राजेन्द्र आत्मज गोविन्दलाल माता भूली बाई जाति ब्राहमण निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा।
4. मोहनलाल आ0 गोविन्दलाल माता भूली बाई जाति ब्राहमण निवासी खेडी श्यामपुरा तहसील बांरा जिला बांरा।
5. रानी बाई पुत्री गोविन्दलाल माता भूली बाई जाति ब्राहमण निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा।
6. ग्राम पंचायत किशोरपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत किशोरपुरा तह0 दीगोद जिला कोटा।
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा–राज0।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक –अपीलांट
पैरोकार सरकार –रेस्पो0 कम–7

अति. सं. आयुक्त
कोटा

(3) **प्रकरण संख्याः** 7/2018/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 9.1.2018
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

भवानी शंकर आत्मज बंशीलाल जाति ब्राहमण निवासी खण्ढगांव तहसील दीगोद जिला कोटा–राज0।

...अपीलांट

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश आत्मज गोविन्द लाल माता भूली बाई जाति ब्राहमण निवासी खेडी श्यामपुरा तहसील बांरा जिला बांरा।
2. बनवारी लाल आत्मज गोविन्द लाल माता भूलीबाई जाति ब्राहमण निवासी खेडी श्यामपुरा तह0 बांरा जिला बांरा।
3. राजेन्द्र आत्मज गोविन्दलाल माता भूली बाई जाति ब्राहमण निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा।
4. मोहनलाल आ0 गोविन्दलाल माता भूली बाई जाति ब्राहमण निवासी खेडी श्यामपुरा तहसील बांरा जिला बांरा।
5. रानी बाई पुत्री गोविन्दलाल माता भूली बाई जाति ब्राहमण निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा।
6. ग्राम पंचायत किशोरपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत किशोरपुरा तह0 दीगोद जिला कोटा।
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा–राज0।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक –अपीलांट
पैरोकार सरकार –रेस्पो0 क्रम–7

(4) **प्रकरण संख्याः** 8/2018/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 9.1.2018
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

भवानी शंकर आत्मज बंशीलाल जाति ब्राहमण निवासी खण्ढगांव तहसील दीगोद जिला कोटा–राज0।

...अपीलांट

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश आत्मज गोविन्द लाल माता भूली बाई जाति ब्राहमण निवासी खेडी श्यामपुरा तहसील बांरा जिला बांरा।
2. बनवारी लाल आत्मज गोविन्द लाल माता भूलीबाई जाति ब्राहमण निवासी खेडी श्यामपुरा तह0 बांरा जिला बांरा।
3. राजेन्द्र आत्मज गोविन्दलाल माता भूली बाई जाति ब्राहमण निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला

अति. रा. आयुक्त
कोटा

कोटा।

4. मोहनलाल आ0 गोविन्दलाल माता भूली बाई जाति ब्राहमण निवासी खेडी श्यामपुरा तहसील बांरा जिला बांरा।
5. रानी बाई पुत्री गोविन्दलाल माता भूली बाई जाति ब्राहमण निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा।
6. ग्राम पंचायत किशोरपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत किशोरपुरा तह0 दीगोद जिला कोटा।
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा–राज0।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक –अपीलांट
पैरोकार सरकार –रेस्पो0 कम–7

::निर्णय::

दिनांक 6.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा अपील प्रकरण सं0 10/13, 11/13, 12/13, 13/13 अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान भवानीशंकर बनाम चन्द्र प्रकाश वगेरा (अपील सं0 10/13, 12/13, 13/13) एवं भवानीशंकर बनाम शारदा शर्मा वगेरा (अपील सं 11/13) मे संयुक्त रूप से पारित निर्णय दिनांक 4.10.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील उपरोक्तानुसार पृथक 2 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत उपरोक्त उनवान की अपीलो मे एक समान विषयवस्तु तथा एक समान पक्षकार निहित होने से उपरोक्त उनवान की अपील सं0 5/18, 6/18, 7/18, 8/18 को न्यायहित मे एक ही निर्णय से निर्णित किया गया।

2 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि अपीलार्थी भवानीशंकर द्वारा ग्राम किशोरपुरा तहसील दीगोद के ख0 नं0 87 रकबा 1.91 है0 ख0 नं0 150 रकबा 3.72 है0, ख0 नं0 356/589 रकबा 0.02 है0, ख0 नं0 398 रकबा 0.38 है0, ख0 नं0 473 रकबा 1.46 है0, ख0 नं0 479 रकबा 3.00 है0, ख0 नं0 542 रकबा 4.30 है0, ख0 नं0 545 रकबा 2.79 है0 कुल किता 8 रकबा 17.58 है0 भूमि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद के ख0 नं0 652 रकबा 0.96 है0, ख0 नं0 659 रकबा 4.94 है0, ख0 नं0 868 रकबा 0.54 है0, ख0 नं0 1241 रकबा 0.35 है0 ख0 नं0 1242 रकबा 1.24 है0 कुल किता 5 रकबा 8.03 है0 भूमि ग्राम किशोरपुरा तहसील दीगोद के ख0 नं0 28 रकबा 0.26 है0, ख0 नं0 85 रकबा 0.18 है0, ख0 नं0 97 रकबा 0.33 है0 कुल किता 3 रकबा 0.77 है0 भूमि एंव ग्राम जाखडोन तह0 दीगोद के ख0 नं0 73 रकबा 0.21 है0, भूमि के कम मे जो पूर्व मे भूली बाई पुत्री मगनलाल जाति ब्राहमण के नाम दर्ज है। भूलीबाई के फौत होने उपरांत खोले गये फौती इंतकाल नं0 369 दिनांक 21.8.2012 ग्राम पंचायत किशोरपुरा, इंतकाल नं0 1439 दिनांक 21.8.2012 ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, इंतकाल नं0 194 दिनांक 21.8.2012 ग्राम पंचायत किशोरपुरा इंतकाल नं0 677 दिनांक 21.8.2012 ग्राम पंचायत किशोरपुरा की पृथक 2 अपीले अधीनस्थ न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई कि भूली बाई उसकी बुआ है जिसका राजस्व रिकार्ड मे मात्र नाम अंकित है जबकि मौके पर उनका कब्जा नही है इस कारण इंतकाल कब्जे की बिना जांच किये व बिना अपीलांट को सुने ही तस्दीक किया गया है जो काबिज निरस्तनीय है।

3 अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे मृतक भूलीबाई के वारिसान की सम्यक जांच कर पारिवारिक सजरा तैयार कर विधि अनुसार भूली बाई के वारिसान के नाम इंतकाल दर्ज कर ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रमाणित नही होने तथा वर्णित भूमि के संबध मे विचाराधीन नियमित वाद मे

अति. सं. आयुक्त
कोटा

पक्षकारों के स्वत्व का निर्धारण गुणावगुण के आधार पर होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत चारो अपीले 10/13, 11/13, 12/13 एंव 13/13 निर्णय दिनांक 4.10.2017 से अस्वीकार की गई।

4 अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर अपील सं0 5/18 मे निवेदन किया कि भूलीबाई अपीलांट की बुआ है। जिस पर अपीलांट के पिता व भूली बाई के भ्राता बंशीलाल का व उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट का पिछले 70 वर्षो से अधिक समय से लगातार निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर कभी भी भूलीबाई का कब्जा काश्त नही रहा तथा भूली बाई द्वारा शारदा बाई जो कि भूली बाई की पुत्र वधु है को भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 25.8.2007 को बेचान कर दी किन्तु उक्त बेचान के बावत शारदाबाई द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल भूलीबाई को अदा नही किया गया इस कारण से उपरोक्त बेचान शून्य है तथा इस बावत अपीलांट द्वारा एक वाद शारदा बाई के विरूद्ध न्यायालय एडीजे क्रम–3 कोटा मे कर रखा है तथा न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष मे स्थगन आदेश जारी किया हुआ है बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर तथा प्रकरण मे आरएए कोटा से स्थगन आदेश जारी है जिसकी अपील राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे जेरकार है तथा मामला जिसपेन्डेन्सी की अवस्था मे है तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही लिसपेनडेन्सी के कारण रोकाना जाना चाहिये था तथा नामा0 स 1439 दिनांक 21.8.2012 को स्थगित करना चाहिये था। उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपील खारिज कर विधिक त्रुटि की है। इसी प्रकार अपीलांट द्वारा अपील सं0 6/18, 7/18, 8/18 मे अपील सं0 5/18 मे उल्लेखित तथ्यों को आलेखित करते हुये यह भी कथन किया कि भूली बाई का वर्णित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा इस कारण अपीलांट को उक्त भूमि पर एउवर्स पजेशन के अधिकार प्राप्त हो चुके है। इस संबध मे खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद के यहां भी पेश कर रखा है। दौराने वाद भूली बाई का स्वर्गवास हो गया जिसमे उसके कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया। तथा भूली बाई की मृत्यु के बाद बिना कब्जे की जांच किये ग्राम पंचायत किशोरपुरा द्वारा इंतकाल सं0 369, 194, 677 दिनांक 21.8.2012 तस्दीक किया गया था तथा विवादित नामा0 पर ग्राम पंचायत किशोरपुरा द्वारा 7.8.2012 की रिपोर्ट पर बगेर ध्यान दिये नामा0 आदेश पारित किया है जो कि काबिल खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि दिनांक 7.8.2012 की रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार के दबाव मे उक्त आदेश जारी किया है जबकि नामा0 की कार्यवाही मे किसी भी प्रकार का कोई मौखिक आदेश मान्य नही है। उक्त तथ्यों पर एसडीओ दीगोद द्वारा गोर किये बिना ही निर्णय दिनांक 4.10.17 से अपीलो को खारिज करने मे विधिक त्रुटि की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपीले स्वीकार करने की इस्तदुआ की गई।

5 अपीले दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। रेस्पो0 ने बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रकरण मे अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया है। अतः रेस्पो0 की तामील पूर्ण मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार सुनी गई।

6 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि भूली बाई उसकी बुआ है जिसका राजस्व रिकार्ड मे मात्र नाम अंकित है जबकि मौके पर उनका कभी कब्जा नही रहा। वादग्रस्त भूमि पर 70 वर्षो से भी अधिक समय से अपीलांट का कब्जा काश्त चला रहा है। अपीलांट को उक्त भूमि पर एडवर्स पजेशन के अधिकार प्राप्त हो चुके है। इस संबध मे खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद के यहां भी पेश कर रखा है। दौराने वाद भूली बाई का स्वर्गवास हो गया जिसमे उसके कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया। वादग्रस्त इंतकाल कब्जे की बिना जांच किये व बिना अपीलांट को सुने ही तस्दीक किये गये है। बह समे यह भी बताया कि भूली बाई द्वारा शारदा बाई जो कि भूली बाई की पुत्र वधु है को भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 25.8.2007 को बेचान कर दी किन्तु उक्त बेचान के बावत शारदाबाई द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल भूलीबाई को अदा नही किया गया इस कारण से उपरोक्त बेचान शून्य है तथा इस बावत अपीलांट द्वारा एक वाद शारदा बाई के विरूद्ध न्यायालय एडीजे क्रम–3 कोटा मे कर रखा है तथा न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष मे स्थगन

अति. सं. आयुक्त
कोटा

आदेश जारी किया हुआ है बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर तथा प्रकरण मे आरएए कोटा से स्थगन आदेश जारी है जिसकी अपील राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे जेरकार है तथा मामला जिसपेन्डेन्सी की अवस्था मे है तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही लिसपेनडेन्सी के कारण रोकाना जाना चाहिये था तथा को स्थगित करना चाहिये था। उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने अपीले खारिज कर विधिक त्रुटि की है। अतः उक्त अपीले स्वीकार करने का अनुरोध किया।

7 प्रकरण मे पैरोकार सरकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपीले खारिज करने का अनुरोध किया।

8 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव जेरअपील निर्णय दिनांक 4.10.2017 के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे भूलीबाई के खाते दर्ज थी। वादग्रस्त नामान्तरकरण मृतक भूली बाई के वारिसान की सम्यक जांच उपरांत तस्दीक किये गये है। प्रकरण मे विवेचित चारो नामा0 के अवलोकन से प्रकट होता है कि मृतक भूली बाई के वारिसान की जांच कर पारिवारिक सजरा अंकित कर सजरा अनुसार भूली बाई के वारिसान के नाम नामा0 दर्ज किये गये है जिसमे ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि की जाना प्रकट नही होता है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी के संदर्भ मे नियमित वाद विचाराधीन है जिसमे पक्षकारों के विधिक स्वत्व का निर्धारण गुणावगुण के आधार पर होना है। नामा0 की अपीलो के माध्यम से पक्षकारो के स्वत्व का निर्धारण नही किया जा सकता। क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमे किसी व्यक्ति/आसामी के स्वत्व का निर्धारण नही किया जा सकता। नामा0 कार्यवाही मात्र भूमि का लगान वसूली किस व्यक्ति से की जानी है निर्धारित करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील प्रकरणों मे तथ्यों का समुचित परीक्षण जेरअपील निर्णय दिनांक 4.10.2017 पारित किया है जिसमे हम किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है।

9 परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील 5/18, 6/18, 7/18, 8/18 खारिज की जाती है। निर्णय अपील पत्रावलीयों मे पृथक–पृथक संलग्न किया गया।

10 निर्णय आज दिनांक 6.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बनमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा